



मुख्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर - 19,

नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक १९५/मु./स्था./छ.ग.प.सं.म./2016

नया रायपुर, दिनांक २३/१२/२०१६

— कार्यालय आदेश —

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ ६-४१/२०१२/१/एक दिनांक २५/११/२०१६ के द्वारा समान वेतनमान एवं समान योग्यता वाले पदों के लिए व्यापम के द्वारा संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में सहायक ग्रेड-३ के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित सेवा भर्ती अर्हता एवं योग्यता रखने वाले चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रूपये ५२००-२०२०० ग्रेड वेतन १९००/- रूपये में सहायक ग्रेड-३ के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ०२ वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर में पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित प्रवर्ग
1.	श्री पुष्पराज साहू पिता—श्री कमल नारायण साहू	देवांगन दुकान के सामने गली, अयोध्या नगर, चंगोराभाठा, रायपुर, पोस्ट सुंदर नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) पिन – ४९२०१३	अ.पि.व.
2.	श्री सौरभ कुमार मृधा पिता—श्री सुब्रतरंजन मृधा	सिलफिली, पोस्ट – सिलफिली जिला – सूरजपुर (छ.ग.) पिन – ४९७२२६	अनारक्षित
3.	कु. आयुषी केशरवानी पिता – श्री जगदीश केशरवानी	मकान नं. ६६३, कारगिल चौक के पास, सुंदर नगर रायपुर जिला—रायपुर (छ.ग.), पिन – ४९२०१३	अनारक्षित (महिला)
4.	श्री मुकेश साहू पिता – श्री शंकर लाल साहू	हनुमान मंदिर गली, जगदलपुर पोस्ट—हटकचोरा, जिला—बस्तर (छ.ग.), पिन – ४९४००१	अ.पि.व.
5.	कु. स्नेहा शेल्के पिता – श्री कमलाकर शेल्के	श्री अनमोल आदर्श बाकरे गणपति चौक आशादीप स्कूल के पास, किरण फैसी स्टोर्स के पीछे, न्यू चंगोराभाठा, पोस्ट सुंदर नगर, जिला – रायपुर (छ.ग.), पिन – ४९२०१३	अनारक्षित (महिला)
6.	श्री रूपेश कुमार कोसले पिता – श्री मोहन लाल कोसले	भोरमदेव रोड, हॉली कास स्कूल के पीछे, कर्वांधा, पोस्ट – कर्वांधा, जिला—कबीरधाम (छ.ग.) पिन – ४९१९९५	अनुसूचित जाति
7.	श्री मोती सिंह राजपूत पिता – श्री झुमुक लाल राजपूत	वार्ड नं. १०, गांधी डीह, लोरमी, पोस्ट – सर्धा, जिला—मुंगेली, पिन – ४९५११५	अनारक्षित (दिव्यांग)

8.	श्री गुमान सिंह दीवान पिता— श्री हृदय राम दीवान	वार्ड नं. 05, बालक छात्रावास के पास, खैराभाठा, पोस्ट — महासमुंद, जिला — महासमुंद (छ.ग.) पिन — 493445	अनुसूचित जनजाति
9.	श्री विजय टोप्पो पिता — श्री अघुन टोप्पो	61 / 10, भाठापारा, सूरजपुर, पोस्ट — सूरजपुर, जिला — सूरजपुर (छ.ग.) पिन— 492006	अनुसूचित जनजाति
10	श्री खोमेन्द्र कुमार पिता — श्री हरि सिंह	191, खंमारीपारा, बिन्द्रानवागढ़ पोस्ट — बिन्द्रानवागढ़, जिला — गरियाबंद (छ.ग.) पिन — 493889	अनुसूचित जनजाति
11.	श्री नरेश सिंह पोर्टे पिता — श्री जय सिंह पोर्टे	मकान नं. 04, छुईहापारा, सेमरहा, पोस्ट — कुकदुर, जिला — कबीरधाम (छ.ग.) पिन — 491559	अनुसूचित जनजाति
12.	श्री लक्ष्मी नारायण सिदार पिता — श्री रतन लाल सिदार	28, भाठापारा, लिमगांव, पोस्ट — चरोदा, जिला — जांजगीर-चांपा(छ.ग.) पिन — 495695	अनुसूचित जनजाति

नियुक्ति की शर्तें :-

1. नियुक्त अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कहीं भी सेवा करना मान्य होगा।
2. नियुक्त अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 में निहित निर्देशानुसार व शर्तों के अधीन होंगे तथा समय—समय पर मंडल एवं शासन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्रों (यथा जाति प्रमाण पत्र, अंक सूची एवं अन्य संबंधित प्रमाण—पत्र) पर आधारित है, जो उचित प्राधिकारी / माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर उपरोक्त दस्तावेज / प्रमाण पत्र के झूठे होने का पता चलता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त कर दी जावेगी, तथा झूठा दस्तावेज / प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों – विनियमों शासन के आदेश / निर्देशों के प्रतिकूल पाये जाने पर किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के एक माह के अंदर स्थानीय सिविल सर्जन (चीफ मेडिकल ऑफिसर) से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण—पत्र देना होगा, और उसके प्राप्त होने पर ही वेतन आहरित हो सकेगा।
5. नियुक्त अभ्यर्थी को मूल वेतन के साथ—साथ समय—समय पर मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।
6. वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा उभय पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन तथा भत्ता यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगा।

7. आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी यदि गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 29 जून, 2013 की कण्ठिका-6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षाधीन अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान, चरित्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
11. नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक माह के भीतर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर में उपस्थिति देनी होगी। उसके बाद नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जावेगी तथा इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।
12. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

अ.३।११६

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 23/12/2016

पृ० क्रमांक १९६/मु. /स्था. /छ.ग.प.सं.म. /2016

प्रतिलिपि :-

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं –

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रभारी)/अतिरिक्त मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
4. अनुभाग अधिकारी (लेखा), छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. व्यक्तिगत नस्ती।

अ.३।१२।१६

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)